

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: F-3(E-18)/CE(M&H)/NIT/ 2489

दिनांक:- 10-12-15

निविदा सूचना संख्या: 44/2015-16

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों पर रु. 13.00 लाख से 95.00 लाख के 23 निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.Org, <http://eproc.rajasthan.gov.in> व विभागीय वेब साईट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।


मुख्य अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जयपुर

(वैब साईट पर अपलोड करने बाबत)
(Email :- cemhraj@gmail.com)
(Mob. Ajmer - 9414483061, Alwar - 9413632752, Banswara - 9413866944, Bharatpur - 9414728995, Churu - 9414260778, Chittorgarh - 9414308127, Jodhpur - 9414493513, Kota - 9460772906, Nagaur - 9460810562, SWM - 9314036920, Sikar - 9414281010)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

सी ब्लाक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

फोन- 0141-5110736

फैक्स- 0141-5110736

क्रमांक: F-3(E-18)/CE(M&H)/NIT/ 2469

दिनांक:- 10-12-15

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना - 44/2015-16

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर निविदा मय तीन वर्ष का दोष निवारण (डिफेक्ट लाइबिलिटी) अवधि के साथ उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायेँ आमन्त्रित की जाती हैं।

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	घरोहर राशि	निविदा शुल्क (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	संबंधित अधिशाही अभियन्ता, कार्यालय
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताला, जिला जयपुर का निर्माण कार्य।	95.00	190000.00	1000.00	9 माह	जयपुर
2	निम्नलिखित जिला चिकित्सालयों पर जैरियाट्रिक वार्ड के निर्माण कार्य।					
अ	दौसा, जिला दौसा	33.00	66000.00	500.00	4 माह	अलवर
ब	धोलपुर, जिला धोलपुर।	33.00	66000.00	500.00	4 माह	भरतपुर
स	बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा।	33.00	66000.00	500.00	4 माह	बांसवाड़ा
द	झुंझु, जिला झुंझु।	33.00	66000.00	500.00	4 माह	सीकर
य	चूरु, जिला चूरु।	33.00	66000.00	500.00	4 माह	चूरु
3	निम्नलिखित स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य।					
अ	CHC Deeg, Jurhera, Kaman & Kumher, Distt. Bharatpur	30.00	60000.00	500.00	4 माह	भरतपुर
द	PHC Arandkhera, Awan, Bhandahera, Dhulet and Julmi, Distt. Kota	28.00	56000.00	500.00	3 माह	कोटा
स	CHC Bissau, Mahansar, Malsisar & Mandawa, Distt. Jhunjhunu	23.00	46000.00	500.00	3 माह	सीकर
द	CHC Rajakhhera, Baseri, Kanchanpur & Saipau, Distt. Dholpur	17.50	35000.00	500.00	3 माह	भरतपुर
4	निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों पर अतिरिक्त निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य					
अ	MCWC बनीपार्क, जयपुर	24.00	48000.00	500.00	4 माह	जयपुर
ब	MCWC गाँधीनगर, जयपुर	24.00	48000.00	500.00	4 माह	जयपुर
स	UPHC शान्तीनगर, हसनपुरा, जयपुर	24.00	48000.00	500.00	4 माह	जयपुर
द	UPHC अग्रवाल फार्म, जयपुर	24.00	48000.00	500.00	4 माह	जयपुर
य	UPHC सकतपुरा, जिला कोटा।	20.00	40000.00	500.00	4 माह	कोटा
र	UPHC गोविन्दनगर, जिला कोटा।	20.00	40000.00	500.00	4 माह	कोटा
ल	UPHC काला तालाब, जिला कोटा।	20.00	40000.00	500.00	4 माह	कोटा
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बजरंगसर, जिला चूरु पर चार दिवारी निर्माण का कार्य।	18.00	36000.00	500.00	3 माह	चूरु
6	निम्नलिखित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य।					
अ	डेलसर खुर्द, जिला झुंझु	18.00	36000.00	500.00	4 माह	सीकर
ब	धोलियाडेर, जिला नागौर	18.00	36000.00	500.00	4 माह	नागौर
7	निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों पर मोर्चरी निर्माण का कार्य।					
अ	राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाऊन, जिला हनुमानगढ़	13.00	26000.00	500.00	4 माह	चूरु
ब	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रतननगर, जिला चूरु	13.00	26000.00	500.00	4 माह	चूरु
स	राजकीय जिला चिकित्सालय, बूंदी, जिला बूंदी	13.00	26000.00	500.00	3 माह	सवाईमाधोपुर

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर जमा कराए।

(अ) भवन निर्माण कार्य हेतु।

किसी भी सीमा तक :	ए ए श्रेणी संवेदक
रुपये 300 लाख तक :	ए श्रेणी संवेदक
रुपये 150 लाख तक :	बी श्रेणी संवेदक
रुपये 50 लाख तक :	सी श्रेणी संवेदक
रुपये 15 लाख तक :	डी श्रेणी संवेदक

- वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड एआर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
- घरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं घरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हेल्थ A/c स्टेट हेल्थ सोसायटी के नाम देय होगा।
- निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा करने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा :-
- निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक बुधवार 23 दिसम्बर, 2015 समय 9:00 बजे से गुरुवार 07 जनवरी, 2016 सांय 6:00 बजे तक होगी।
- निविदा शुल्क व घरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अथवा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में शुक्रवार 08 जनवरी 2016 अपराह्न 1:00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
- निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर गुरुवार 07 जनवरी 2016, सांय 6:00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, के कार्यालय में दिनांक शुक्रवार 08 जनवरी 2016 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में संवेदक द्वारा बुधवार 23 दिसम्बर, 2015 समय 9:00 बजे से गुरुवार 07 जनवरी, 2016 सांय 6:00 बजे तक देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
- निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिनों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी घरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित कृत अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अथवा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं। अतः पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
- संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
- कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् तीन वर्ष तक रहेगा।
- ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
- इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्र को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajabasthan.gov.in>" से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
- निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajabasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सुविधों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।
- निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं घरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिंकी कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से निविदा शुल्क व घरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
- निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व घरोहर राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग देय होंगे। अगर एक डिमान्ड ड्राफ्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा। पोस्ट क्यालिफिकेशन में रैसपोन्सिव निविदादाताओं की वित्तीय विड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जायेगी। जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

मुख्य अभियन्ता,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
(राज.) जयपुर